

अतिरिक्त भित्ति अनुसंधान प्रभाग-II

सीएसआईआर-मानव संसाधन विकास समूह: पूसा नई दिल्ली।

ईएमआर-II/पीएफएमएस/2024-25/

दिनांक: 09.10.2024.

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के अंतर्गत निधियों के प्रवाह के लिए संशोधित प्रक्रिया - व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के मॉडल 1 के अंतर्गत कार्यान्वित की जाने वाली योजनाएं।

अधोहस्ताक्षरी को 9 मार्च, 2022 के डीओई के दिशा-निर्देशों का संदर्भ देने का निर्देश दिया गया है, जिन्हें आमतौर पर केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के तहत धन प्रवाह के लिए संशोधित प्रक्रिया के संबंध में केन्द्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) मॉडल के रूप में जाना जाता है। (संलग्न)

चूंकि मॉडल-1 के तहत निजी संस्थानों के आरबीआई खाते खोलने की अनुमति नहीं है, इसलिए व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ. संख्या 3/(16)/पीएफएमएस/2022, दिनांक 2 जून, 2023 के माध्यम से सीएसआईआर/वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर) को डीएसआईआर स्कीम कोड 1827 की "क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास" योजना के संबंध में डीओई के दिनांक 9 मार्च, 2022 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा अनिवार्य निधि प्रवाह तंत्र को विनियमित करने के लिए मॉडल-1 के अनिवार्य संचालन से छूट दी और अनुदान प्राप्त संस्थानों कार्यान्वयन एजेंसियों (आईए)/विश्वविद्यालय/संस्थान/संगठनों के वाणिज्यिक बैंक खातों में रखे गए खातों में धनराशि जारी करने की भी छूट दी, जिसके बाद दिनांक 26.07.2023 का परिपत्र जारी किया गया। (प्रतिलिपि संलग्न)।

इसके अलावा, दिनांक 21.05.2024 के परिपत्र एफ. संख्या 3/(06)/पीएफएमएस/2023 के जारी होने के परिणामस्वरूप, दिनांक 26.07.2023 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा अधिसूचित ईएटी मॉड्यूल द्वारा निगरानी वाली निधि प्रवाह प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है और मॉडल-1ए: हाइब्रिड ट्रेजरी सिंगल अकाउंट (टीएसए) के माध्यम से कार्यान्वयन के अंतर्गत नई प्रक्रिया को सक्षम प्राधिकारी सीएसआईआर द्वारा वित्तीय सलाहकार सीएसआईआर के परामर्श से तत्काल प्रभाव से प्रभावी बना दिया गया है।

उपरोक्त के मद्देनजर, सभी प्राथमिकी/प्राप्तकर्ता एजेंसियों से अनुरोध है कि वे भारत सरकार (डीओई, एमओएफ) के आदेशानुसार टीएसए हाइब्रिड पर स्विच करने के लिए तत्काल आधारभूत कार्य शुरू करें।

(i) धन/मांग प्राप्त करने के लिए टीएसए-हाइब्रिड पीएफएमएस एकीकरण सुविधा के साथ किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में एक बचत खाता खोलना और

(ii) उसी बैंक में दूसरा बचत खाता खोलना, जिसमें (i) सरकारी मानदंडों के अनुसार टीडीएस, अन्य कटौती के लिए होल्डिंग खाता हो।

(iii) बैंकिंग लेनदेन करने के लिए उनके नियमों के अनुसार प्राप्तकर्ता एजेंसियों के प्राधिकारियों के लिए डीएससी (डिजिटल हस्ताक्षर) प्राप्त करना (भुगतान के लिए डीएससी लागू करना)

(iv) फिर योजना पंजीकरण "प्राप्तकर्ता एजेंसियों" के रूप में किया जा सकता है, जो आगे नए खोले गए खाते को (सीएसआईआर/डीएसआईआर योजना संख्या 1827 (क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास) क्षमता निर्माण और बैंक खाते को टीएसए-हाइब्रिड आदि के लिए चिह्नित करेंगे।

(v) इसके बाद ईएमआर योजना मानचित्रण और योजना पदानुक्रम आदि निर्धारित करने के लिए "प्राप्तकर्ता एजेंसियों" को मंजूरी देगा।

इस संबंध में अवलोकन तथा आगे की आवश्यक कार्रवाई हेतु निम्नलिखित दस्तावेज इस कार्यालय ज्ञापन के अनुलग्नक में संलग्न हैं।

1. केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) मॉडल दिनांक 9 मार्च, 2022।
2. मास्टर परिपत्र दिनांक 21.05.2024
3. एसओपी दिनांक 10.07.2024
4. उपयोगकर्ता मैनुअल दिनांक 24.07.2024
5. परिपत्र दिनांक 26.07.2023

उपर्युक्त प्रणाली के कार्यान्वयन के संबंध में यदि कोई संदेह/प्रश्न हो तो उसे ईमेल द्वारा भेजा जा सकता है।

Udayan
9/10/2024

मधुरंजन पांडेय
अवर सचिव (ईएमआर-II)

कॉपी:

1. सभी कृपया.
2. प्रमुख एचआरडीजी.
3. एसआईसी (ईएमआर-II).
4. वरिष्ठ उप. एफए/एफएओ/एसओ (ईएमआर-III)
5. एचआरडीजी वेबसाइट.
6. कार्यालय प्रतिलिपि.

Extra Mural Research Division-II
CSIR-Human Resource Development Group: Pusa New Delhi.

EMR-II/PFMS/2024-25/

Dated: 09.10.2024.

Office Memorandum

Sub: Revised Procedure for flow of funds under Central Sector Schemes-schemes to be implemented under Model -1 of Department of Expenditure, Ministry of Finance ,Govt. of India guidelines.

The undersigned is directed to refer to DOE's guidelines dated 9th March, 2022, commonly known as the Central Nodal Agency(CNA) model regarding revised procedure for funds flow of funds under Central Sector Schemes. (enclosed)

As opening of RBI accounts of private institutes under Model-1 is not permitted, the Department of Expenditure, Ministry of Finance, Government of India vide their OM No. F. No. 3/(16)/PFMS/2022, Dated 2nd June, 2023 granted exemption to CSIR/Department of Scientific and Industrial Research (DSIR) from mandatory operation of Model-I for regulating the fund flow mechanism mandated vide DoE's OM dated 9th March, 2022 in r/o "Capacity Building and Human Resource Development" Scheme of DSIR scheme code 1827 and also to release funds to the accounts maintained with commercial bank accounts of grantee institutions /Implementing Agencies(IAs)/ University/ Institute/ organisations, following which the circular dated 26.07.2023 was issued. (copy attached).

Furthermore, consequent upon the issue of Circular F. No. 3/(06)/PFMS/2023 dated 21.05.2024, The fund flow procedure having monitoring by EAT module notified by the OM dated 26.07.2023 is dispensed off and the new procedure under Model -1 A: Implementation through Hybrid Treasury Single Account (TSA) has been made effective, by the competent authority CSIR in consultation with FA CSIR with immediate effect.

In view of above, it is requested to all PI's/Recipient Agencies for immediately take up the ground work for switching over to **TSA hybrid** as mandated by GoI (DoE, MoF) .



- (i) **Opening of One Saving Account in any Scheduled Commercial** bank with TSA-Hybrid PFMS integration facility for receiving funds/demands and
- (ii) Opening of 2nd saving account in same bank as (i) as holding account for TDS, other remittable deductions as per government norms.
- (iii) Procuring DSCs (Digital Signature) for the authorities of **Recipient Agencies as per their rules for making banking transactions (applying DSC for payments)**
- (iv) **Then the scheme registrations may be done as** “Recipient Agencies” which shall further map newly opened account to (CSIR/DSIR Scheme No.1827 (Capacity Building and Human Resource Development) capacity Building and flagging of the Bank account to TSA-Hybrid, etc.
- (v) Thereafter EMR would approve “**Recipient Agencies**” for Scheme mapping & setting Scheme Hierarchy etc.

The following documents are attached at annexures to this OM for perusal and further necessary action in this regard.

1. Central Nodal Agency(CNA) model dated 9th March, 2022.
2. Master circular dated 21.05.2024
3. SOP dated 10.07.2024
4. User Manual dated 24.07.2024
5. Circular dated 26.07.2023

Doubts /questions if any regarding the implementation of the aforesaid system may be sent by return emails.


Madhuranjan Pandey

US (EMR-II)

Copy to:

1. All PI's.
2. Head HRDG.
3. SIC (EMR-II).
4. Sr. Dy. FA/FAO/SO (EMR-III)
5. HRDG Website.
6. Office copy.